an>

Title: Madam Speaker made Valedictory Reference on the conclusion of the 3rd session of the 16th Lok Sabha.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 16वीं लोक सभा का तीसरा सत्र, जो 24 नवम्बर, 2014 को प्रारम्भ हुआ, आज समाप्त हो रहा है। इस सत्र के दौरान 22 बैठकें हुयीं, जिनमें 129 घंटे और 47 मिनट का समय लगा।

सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य निपटाये गए। अनुदानों की अनुपूरक मांगों (2014-2015) पर चर्चा लगभग 4 घंटे चली जिसके बाद इन्हें स्वीकृत किया गया एवं संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

सत्र के दौरान 16 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि सत्र के दौरान 18 विधेयक पारित हुए जो हाल के वर्षों में एक तरह का रिकॉर्ड है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसा आपके सहयोग और प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं - केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, कपड़ा उपक्रम विधि विधेयक, संदाय और परिनिर्धारण प्रणाली विधेयक, कोयला खान कम्पनी विधेयक वगैरह।

इस सत्र के दौरान 440 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए जिनमें से 103 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार प्रतिदिन लगभग 4.68 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सहित 5058 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा पटल पर रखे गए। आधे घंटे की चर्चा के लिए दो मुद्दे उठाए गए जिनमें डॉ. किरीट सोमैय्या ने प्लास्टिक के खतरे और श्री तथागत सत्पथी जी ने "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना " के बारे में मुद्दे उठाए और संबंधित मंत्रियों ने उनका उत्तर दिया।

प्रश्नकाल के बाद और सायं देर तक चली बैठकों में सदस्यों द्वारा लगभग 684 अवितंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 271 मामले भी उठाए।

स्थायी समितियों ने सभा को 70 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण के द्वारा चार महत्वपूर्ण मामले उठाए गए। ये मामले हैं - श्रीलंका की नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों के किए गए अपहरण और उत्पीड़न, देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण उत्पन्न स्थिति, जीवन रक्षक औषधियों की कीमतों में वृद्धि और नकली दवाओं का प्रचलन, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में इन्सेफलाइटिस के फैलने से उत्पन्न स्थिति। इन ध्यानाकर्षणों के प्रत्युत्तर में संबंधित मंत्रियों ने बयान दिए और सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों के उत्तर भी दिए गए।

सभा में अवितंबनीय लोक महत्व के विषयों पर नियम 193 के अधीन चार अल्पकालिक चर्चा भी हुई जिनमें विदेशों में जमा कालेधन को वापस लाने की प्रक्रिया तेज किए जाने की आवश्यकता, देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में चर्चा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को कथित रूप से क्षीण किये जाने के बारे चर्चा और धर्मांतरण की कथित घटनाओं के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा हुई। चौथी चर्चा की अनुमति कार्यसूची में प्रविष्ट किए वगैर विशेष मामले के रूप में अध्यक्ष द्वारा दी गई। इन महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए जाने के साथ समाप्त हुई।

मंत्रियों द्वारा अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 39 वक्तव्य दिए गए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य पर तीन वक्तव्य दिए गए। इस सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा सभा के पटल पर 2123 पत्र रखे गए।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के अंतर्गत इस सत्र के दौरान 68 गैर-सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए। डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 8 अगस्त, 2014 को पेश किए गए केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद् विधेयक - 2014 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को 28 नवम्बर, 2014 को आगे चर्चा के लिए लिया गया। प्रभारी सदस्य ने चर्चा समाप्त हो जाने पर सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया। अन्य विधेयक, अर्थात् अम्ल नियंत्रण विधेयक -2014, जिसका आशय अम्लों के क्रय और वितरण का नियंत्रण करना है, को डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा 28 नवम्बर, 2014 को पेश किया गया। इस विधेयक पर आगे चर्चा 12 दिसम्बर, 2014 को की गई तथा उसी दिन चर्चा की समाप्ति पर प्रभारी सदस्य द्वारा सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया। श्री भर्तृहरि महताब द्वारा 12 दिसम्बर, 2014 को पेश किए गए वरिष्ठ नागरिक (जरारोग और डिमेंशिया देख-रेख का उपबंध) विधेयक, 2014 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा उस दिन पूरी नहीं हुई।

श्री राजू शेट्टी द्वारा 18 जुलाई, 2014 को पेश किए गए राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर आगे चर्चा 5 दिसम्बर, 2014 को जारी रही और सभा की अनुमति से 19 दिसम्बर, 2014 को वापस लिया गया। भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने में योदगान देने में समर्थ बनाने के लिए युवाओं में तकनीकी दक्षता के विकास के लिए योजना और 'मेक इन इंडिया' का लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में अन्य संकल्प श्री सी.आर. पाटील द्वारा 19 दिसम्बर, 2014 को पेश किया गया और इस पर चर्चा अधूरी रही।

इस सत्र में व्यवधानों और स्थगनों के कारण 3 घंटे 28 मिनट से अधिक समय की हमें हानि हुई। तथापि, इस सभा ने महत्वपूर्ण वित्तीय और अन्य कार्यों के निपटान के लिए लगभग 17 घंटे 30 मिनट के लिए बैठक की जो सराहनीय है तथा मैं सदस्यों को धन्यवाद देती हूं। सभा ने आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान में निर्दोष स्कूली बच्चों का नरसंहार करने और एक पाकिस्तानी न्यायालय द्वारा मुंबई की 26/11 की आतंकवादी घटना के आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने की निंदा किए जाने से संबंधित दो संकल्पों को भी सर्वसम्मति से पारित किया।

मैं उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में शामिल अपने साथियों के कार्य को पूरा करने में सहयोग देने पर धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं, मुख्य सचेतक तथा माननीय सदस्यों के सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर महासचिव द्वारा मुझे दी गई सक्षम और विशेषज्ञ सहायता के लिए बधाई देती हूं। मैं लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारीगण को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा पर धन्यवाद देती हूं। मैं सभा की कार्यवाहियों के संचालन में सम्बद्ध एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए भी उनको धन्यवाद देती हूं।

मैं माननीय सदस्यों को - के.सी. वेणुगोपाल जी -"क्रिसमस" तथा "नव वर्ष" की शुभकामनाएं देती हूं। मेरा विश्वास है कि नूतन वर्ष एक मजबूत प्रजातंत्र तथा सक्षम भारत बनाने के लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा। फिर एक बार सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं।

-

-

NATIONAL SONG

माननीय अध्यक्ष :अब वंदे मातरम् होगा। सदस्य कृपया खड़े हो जाएं।

(The National Song was played.)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned *sine die*.

12.24 hrs

The Lok Sabha then adjourned sine die.

---

* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढद्म् थ्ड्डत्ड्ड द्द ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ ड्डदड्ड ड्ड्ढद्द द्रथ्ड्डहड्ढड्ड त्द Lत्डद्धड्डद्धन्र्, च्ड्ढड्ढ ग्द्द. Lच्र् 1745/16/14